न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री हरिसिंह लंबोरा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 170/2011

वादीगण		बनाम	प्रतिवादीगण
1.	बाल किशन पुत्र नाराराम	1.	नाराराम पुत्र स्व. शंकरराम
2.	ताराचंद पुत्र नाराराम	2.	मिश्रीलाल पुत्र स्व. शंकरराम
3	जवरीलाल पुत्र मिश्रीलाल	3.	रामी पुत्री स्व. शंकरराम
4	खीवराज पुत्र मिश्रीलाल	4.	सुकनी पत्नि स्व. शंकरराम जातिगण माली निवासीगण बेरा केवडा, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)
5	संतोष पुत्री मिश्रीलाल	5	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली (राजस्थान)
6	रूकमा पुत्री मिश्रीलाल उम्र 25 वर्ष जातिगण माली निवासीगण बेरा केवड़ा, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राज.		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(ए) एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री मुकेश कुमार सैन एवं लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 04 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 14.09.2016

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(ए) एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तहसील सोजत में वादीगण की पूर्वजों अर्थात् वादीगण के दादा शंकरराम की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि खसरा नबंर 6238 रकबा 1.25 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। वादीगण के पूर्वजो की वंशावली अनुसार मूल पुरूष शंकराराम (फौत) वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा है, जिनके पुत्रान नाराराम व मिश्रीलाल और राजी पुत्री तथा सुकनी पत्नि है। नाराराम के बालकिशन एवं ताराचन्द पुत्र है व मिश्रीलाल के दो पुत्र जवरीलाल व दो पुत्रीयां संतोष व रूकमा है। सरहद मौजा सोजत पटवार हल्का सोजत चक प्रथम में वादीगण के द्वारा की पुश्तैनी कृषि भूमि आई हुई है, जिसके पुराने खसरा नंबर 383/1 के नये खसरा नबंर 6238 रकबा 1.2500 हैक्टर बने है तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का संयुक्त कब्जा काश्त निरन्तर निर्बाध व शांति पूर्वक चला आ रहा है, जिसमें वादीगण संख्या 1 व 2 का 3/12 हिस्सा हक हकूक का आता है तथा वादीगण संख्या 3 से 6 का 5/20 हिस्सा आता है। उक्त कृषि भूमि को बेरा केवड़ा वालो क नाम से जाना पहचाना जाता है वादीगण ने बेरा केवडा पर वादीगण के स्वयं के खर्चे से उक्त कृषि भूमि को उपजाऊ एवं उपयोगी बनाया है तथा वादीगण मौके पर काबिज है। वादीगण उक्त खसरा नम्बरान की सावणु कृषि भूमि प्रतिवर्ष कृषि कार्य करता है तथा मौके पर काबिज है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम स्थित कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 383/1 जिसके नये खसरा नम्बर 6238 बने है। जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045 एवं 2066 से 2069 एवं सम्वत् 2028–29–30 में भी सेटलमेंट के समय वादीगण के पूर्वज शंकरराम पुत्र गंगाराम का दर्ज है। जिसके वादीगण के दादा बतौर खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण के दादा शंकरराम के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

नाम दिनांक 20.10.2005 को बाले–बाले फौतेदगी म्यूटेशन भरवा लिया है। वादीगण के पिता नाराराम व मिश्रीलाल के नाम उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि मे खातेदार अंकित है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादा की पुश्तैनी कृषि है। वादीगण संख्या 1 व 2 उक्त कृषि भूमि में 3/12 हिस्से एवं तथा वादीगण संख्या 3 से 6 का 5/20 हिस्से पर काबिज काश्त है। वाद में वर्णित कृषि भूमि 100 वर्षो से भी अधिक समय से वादीगण के पूर्वजो के समय से चली आ रही है। वादीगण के दादा शंकरराम की मृत्यु 2005 मे होने पर सम्पूर्ण कृषि भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिश्रीलाल व नाराराम के नाम हुआ। जबकि उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पूर्वजों की होने के कारण जन्म से ही वादीगण संख्या 1 व 2 का 3/12 – 3/12 हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 3 से 6 का 5/20 – 5/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार बनने का अधिकारी है। सन् 2005 में वादीगण के दादा शंकरराम का देहान्त हुआ, उस समय वादीगण की उम्र वाद पत्र के शीर्षक पर दर्ज है, उतनी थी। इसलिए जन्म से ही वादीगण के दादा के नाम की पुश्तैनी कृषि भूमि में वादीगण का हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण नाराराम व मिश्रीलाल का हिस्सा उक्त कृषि भूमि में 1/4 – 1/4 हिस्सा ही आता है व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 –1/4 हिस्सा ही आता है। वादीगण सभी कृषक है। उक्त कृषि भूमि से होने वाले सावणु फसल व रबी और खरीफ की फसले व सब्जीयां लगाकर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करते है। इसके अलावा वादीगण के पास उनके भरण–पोषण का अन्य कोई जरिया नही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादीगण के हक व अधिकार को खत्म करने की कोशिश करने मे लगे व वादीगण को तरह तरह से परेशान करने लगे। अब उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अन्य लोगो के नाम बक्सीस बेचान व अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने को उतारू है। वादीगण को धमकिया देते है कि प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि को जो उनके नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है, उसके आधार पर बेचान कर देंगे। जबकि प्रतिवादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से अधिक बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण के पूर्वजों की पुश्तैनी कृषि भूमि जो संयुक्त परिवार की सम्पति है, जिस भूमि पर संयुक्त कब्जा व हिस्सा है। केवल वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज न हो जाने के कारण उसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दुरूपयोग करने पर उतारू है तथा बंटवाड़ा भी वादीगण द्वारा आपसी सहमति से प्रतिवादीगण को बार बार कहने के बावजूद नहीं कर रहे है तथा बाले बाले से किसी अन्य वयक्ति को बेचान, हस्तान्तरण करने पर उतारू है,जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से बाले–बाले एक बेचान इकरारनामा भी दिनांक 29.07.2011 को रामलाल व मदनलाल घांची के पक्ष निष्पादित कर दिया है, जिसकी जानकारी वादीगण को विश्वस्त सुत्रों से प्राप्त हुई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि जो वादीगण की संयुक्त कब्जाकाश्त की है, जिसे प्रतिवादीगण को बेचने का कोई अधिकार नही है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण को संयुक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि अलग कर वादीगण के नाम कराने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नही की। प्रतिवादीगण सम्पूर्ण कृषि भूमि को बेचने पर उतारू है, जबकि कानून वादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि को 3/12–3/12 हिस्सो का व वादी संख्या 3 से 6 का 5/20–5/20 हिस्से के खातेदार काश्तकार बनने का अधिकारी है तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि को वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने का अधिकारी है तथा पुश्तैनी सामालाती कृषि भूमि की उक्त आराजी की पुश्तैनी सामलाती कृषि भूमि को अन्य किसी को बेचान करने से प्रतिवादीगण को रोकने का भी अधिकारी है। इसलिए यह वाद विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण धारा 88, 92ए एव 53 आर.टी.एक्ट का पेश किया है। प्रतिवादीगण संख्या 6 तहसीलदार भूमि धारक होने से एव यह वाद धारा 53 आर.टी.एक्ट का होने से इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण तहसीलदार भूमि धारक को पक्षकार बनाया गया है। विनायदावा दिनांक 20.10.2006 को प्रतिवादीगण बाले–बाले अपने नाम से म्यूटेशन भरवाने तथा प्रतिवादीगण के नाम उक्त कृषि भूमि होने के कारण दिनांक 20.07.2011 को अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देने तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण को वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर उनका हिस्सा वादीगण के नाम करने को कहा तो प्रतिवादीगण लड़ाई टण्टा करने को उतारू हो गये तथा प्रतिवादीगण ने एलानिया कहा कि वह सम्पूर्ण सम्पति मय कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान, बक्शीस इत्यादि कर देगा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 29.07.2011 को गलत तरीके से वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी दिनांक 01.08.2011 को लेने से विनायदावा पैदा हुआ जो अन्दर म्याद पेश किया है। इस प्रकार माफिक दावा वकील वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादीगण 01 व 02 प्रत्येक को 3/12 हिस्से तथा वादीगण संख्या 03 से 06 प्रत्येक को 5/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की तथा इसी हिस्से अनुसार उक्त भूमि का पक्षकारानो में वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने, अन्य किसी को बेचान, रहन, अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की इस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से श्री सुरेश कुमार सेन अधिवक्ता तथा श्री लक्ष्मण नेघवाल अधिवक्ता ने दिनांक 10.10.2011 को वकालतनामा पेश किया, तब से लगातार अवसर दिये जाने पर भी जवादा दावा प्रस्तुत करने में विफल रहने से दिनांक 23.01.2014 को अवसर समाप्त किया जाकर जवाब दावा बन्द किया गया। दिनांक 28.12.2011 को प्रार्थीगण रामलाल व मदनलाल मय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत O/R 10(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र बाद विधिक सुनवाई दिनांक 23.01.2014 को प्रार्थना–पत्र का आधार अभिलेख इकरारनामा पंजीबद्ध नही होने से ग्राहय नही माना गया तथा प्रार्थना–पत्र O/R 10(2) सी.पी.सी. का खारिज किया गया। वकील वादीगण द्वारा शहादत वादीगण PW-1 से PW-6 के तसदीकसुदा शपथ पत्रादि का मुख्य परीक्षण करवाया जाकर तथा बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सामिल मिसल करवाये गये तथा दस्तावेजात प्रदर्श 01 से 06 प्रदर्शित करवाये गये, सा0मि0 है। अन्य शहादत पेश करना नही चाहने चाहने से शहादत वादीगण दिनांक 14.09.2016 को बन्द की गई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि प्रबन्ध विभाग खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2028–29 तथा जमाबंदी सम्वत् 2042–45 व 2062–65 में खसरा संख्या 6238 की भूमि में वादीगण के दादा शंकरराम पुत्र गंगाराम माली सा0 देह खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिससे उक्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी होना बखूबी साबित है, जिससे वादीगण वाद माफिक दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पक्षकारानो में बंटवाड़ा करवाये जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का पुन ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र दस्तावेजात प्रदर्श 01 से 06 तथा साक्ष्यगणो के शपथ–पत्र बयानादि का गहनतापूर्वक अध्ययन किया

उप खण्ड अधिकारी
मोजत (जिला-नागौर) राज

Scanned by CamScanner

गया तथा बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना तथा उक्त आराजी भूमि की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा सोजत चक प्रथम मे स्थित ख० नं० 6238 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा.अ. में वादीगण संख्या 1 से 6 तथा प्रति० सं० 3 व 4 को प्रति.सं. 1 व 2 के साथ सजरा वंशावली अनुसार अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के अधिकारी है. जिससे वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना तथा उक्त आराजी भूमि की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा संख्या 6238 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा.अ. की भूमि मे वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के साथ अपने सजरा वंशावली अनुसार उनके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 इस अमर की सादिर की जाती है कि पैतृक व पुश्तैनी आराजी की कृषि भूमि मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित खसरा संख्या 6238 रकबा 1.2500 हैक्टर किस्म बा.अ. की भूमि में वादीगण संख्या 01 से 06 तथा प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के साथ अपने सजरा वंशावली अनुसार उनके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।तहसीदार, सोजत को उक्त विवादित भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करके विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश करने आदेश दिये जाते है। मौके पर नाप चौप करके पत्थर गढ़ी/नेखम बंदी करवाकर राजस्व रेकर्ड हक हिस्से व मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार खाता व लगान अलग—अलग करके नजरी नक्शा बनाया जावें। प्राथमिक डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार, सोजत को बंटवाडा हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को प्राथमिक डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

(हरिसिंह लंबोरा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.09.2016 को सरेईजलास मेरे द्वारा सुनाया गया।

(हरिसिंह लंबोरा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner